सेवार्थ,

कुलपति
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय
रोहतक।

विषय : एडिड कॉलेजों के शिक्षकों की मांगों सम्बन्धी।

श्रीमान जी,

हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई की अपील करती है-

1. **एडिड कॉलेजों में प्रिंसीपल पद के चयन के लिए जो सिलैक्शन-क्राइटीरिया** 25.6.2013 को लागू किया गया है या इससे पहले लागू क्राइटीरिया के बारे में भी प्रदेश के शिक्षकों की गंभीर आपत्तियां रही हैं। हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी ने 12/1/2014 को कुरुक्षेत्र में हुई अपनी मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया है कि यह क्राईटीरिया पूर्णत: गैरकानूनी है क्योंकि इसकी Cut-off- Date नहीं है। जैसे प्रदेश के कॉलेजों में API की Cut off Date सितम्बर 2012 है। उसी प्रकार से प्रिंसीपल पद के लिए सिलैक्शन क्राइटीरिया 25/6/13 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नियम पीछे से (Retrospectively) लागू नहीं होता। इस सिलैक्शन क्राईटीरिया की सभी शर्तें व मापदण्ड शिक्षक के शैक्षणिक अतीत से जुड़े हैं। बतौर कॉलेज शिक्षक नियुक्ति के समय जिसने 100 अंक का इन्टरव्यू दिया उसे प्राचार्य बनने के लिए 20 अंक का इन्टरव्यू देने के लिए कहना गैरकानूनी है।

   इसलिए एच.सी.टी.ए. एडिड कॉलेजों में प्रिंसीपल पद के चयन के लिए **वर्तमान क्राईटीरिया को पूर्णत: वापिस लेने व यू.जी.सी. के नियमों को लागू करने की मांग करती है।** हमारा मानना है कि ऐसा करने से कानून की रक्षा होगी तथा प्रिंसीपल-चयन में अनियमितताओं व स्तरहीनता को रोका जा सकेगा।

   यूनिवर्सिटी के एक्ट के अनुसार मूल योग्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी A.C. , Court और E.C. में पास करवाना लाजमी होता है। एडिड कॉलेजों में प्राचार्य पद के लिए प्रस्तावित सिलैक्शन क्राइटीरिया इस पद की मूल योग्यताओं में हस्तेक्षप है। यूजीसी के निर्धारित मापदण्डों से भी यह अलग है।

   एच.सी.टी.ए. यूनिवर्सिटी से उपर्युक्त क्राइटीरिया को रद्द करते हुए सिर्फ यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों को लागू करने की मांग करती है।

2. **एडिड कॉलेजों में सैल्फ-फाईनेंस के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियों** में बड़े स्तर पर फ्रॉड हो रहा है। इसमें भ्रष्टाचार व उत्पीड़न का पक्ष भी है। एसोसिएशन जोरदार मांग करती है कि सैल्फ-फाईनैंस में शिक्षकों का चयन स्थाई-शिक्षकों की तरह बाकायदा सिलैक्शन कमेटी द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर निश्चित अवधि के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उनके लिए न्यूनतम वेतन को सुनिश्चित करने की भी कारगर प्रणाली बनाई जाये।
3. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कॉलेज शिक्षकों को प्रैक्टिकल परीक्षा की अवार्ड-लिस्ट संबंधित कालेज के प्राचार्य को सौंपने का नया आदेश दिया है। एच.सी.टी.ए. इस आदेश से इसलिए असहमत है क्योंकि इससे परीक्षा की गोपनीयता व पवित्रता भंग होती है और शिक्षक के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। निवेदन है कि इसमें अवार्ड-लिस्ट सीधे यूनिवर्सिटी को सौंपने का पुराना सिस्टम ही बरकरार रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो शिक्षक इस आदेश को मानने के लिए असमर्थ होंगे।

   आशा है आप हमारी मांगों पर सदाशयता दिखायेंगे।

सधन्यवाद!

(डॉ. रविन्द्र गासो)

सेवार्थ,

कुलपति
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरुक्षेत्र।

विषय : एडिड कॉलेजों के शिक्षकों की मांगों सम्बन्धी।

श्रीमान जी,

हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन निम्ललिखित मुद्दों पर कार्रवाई की अपील करती है-

1. **एडिड कॉलेजों में प्रिंसीपल पद के चयन के लिए जो सिलैक्शन-क्राइटीरिया** 25.6.2013 को लागू किया गया है या इससे पहले लागू क्राइटीरिया के बारे में भी प्रदेश के शिक्षकों की गंभीर आपत्तियां रही हैं। हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी ने 12/1/2014 को कुरुक्षेत्र में हुई अपनी मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया है कि यह क्राईटीरिया पूर्णत: गैरकानूनी है क्योंकि इसकी Cut-off- Date नहीं है। जैसे प्रदेश के कॉलेजों में API की Cut off Date सितम्बर 2012 है। उसी प्रकार से प्रिंसीपल पद के लिए सिलैक्शन क्राइटीरिया 25/6/13 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नियम पीछे से (Retrospectively) लागू नहीं होता। इस सिलैक्शन क्राईटीरिया की सभी शर्तें व मापदण्ड शिक्षक के शैक्षणिक अतीत से जुड़े हैं। बतौर कॉलेज शिक्षक नियुक्ति के समय जिसने 100 अंक का इन्टरव्यू दिया उसे प्राचार्य बनने के लिए 20 अंक का इन्टरव्यू देने के लिए कहना गैरकानूनी है।

   इसलिए एच.सी.टी.ए. एडिड कॉलेजों में प्रिंसीपल पद के चयन के लिए **वर्तमान क्राईटीरिया को पूर्णत: वापिस लेने व यू.जी.सी. के नियमों को लागू करने की मांग करती है।** हमारा मानना है कि ऐसा करने से कानून की रक्षा होगी तथा प्रिंसीपल-चयन में अनियमितताओं व स्तरहीनता को रोका जा सकेगा।

   यूनिवर्सिटी के एक्ट के अनुसार मूल योग्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी A.C. , Court और E.C. में पास करवाना लाजमी होता है। एडिड कॉलेजों में प्राचार्य पद के लिए प्रस्तावित सिलैक्शन क्राइटीरिया इस पद की मूल योग्यताओं में हस्तेक्षप है। यूजीसी के निर्धारित मापदण्डों से भी यह अलग है।

   एच.सी.टी.ए. यूनिवर्सिटी से उपर्युक्त क्राइटीरिया को रद्द करते हुए सिर्फ यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों को लागू करने की मांग करती है।

2. **एडिड कॉलेजों में सैल्फ-फाईनेंस के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियों** में बड़े स्तर पर फ्रॉड हो रहा है। इसमें भ्रष्टाचार व उत्पीड़न का पक्ष भी है। एसोसिएशन जोरदार मांग करती है कि सैल्फ-फाईनैंस में शिक्षकों का चयन स्थाई-शिक्षकों की तरह बाकायदा सिलैक्शन कमेटी द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर निश्चित अवधि के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उनके लिए न्यूनतम वेतन को सुनिश्चित करने की भी कारगर प्रणाली बनाई जाये।

   आशा है आप हमारी मांगों पर सदाशयता दिखायेंगे।

सधन्यवाद!

(डॉ. रविन्द्र गासो)